//

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 4/2018
दायर दिनांक – 05/03/2018
निर्णय दिनांक – 14/5/2018

अनवान

1. खेमा पिता धुला कुमावत निवासी बामनियाकलां तह0 रेलमगरा

अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रभुलाल पिता खेमा कुमावत निवासी बामनियाकलां तह0 रेलमगरा
2. शम्भुलाल पिता खेमा कुमावत निवासी बामनियाकलां तह0 रेलमगरा
3. सीता पुत्री खेमा कुमावत निवासी बामनियाकलां तह0 रेलमगरा
4. चांदी पुत्री खेमा कुमावत निवासी बामनियाकलां तह0 रेलमगरा
5. हंसा पुत्री खेमा कुमावत निवासी बामनियाकलां तह0 रेलमगरा
6. कजोडी बेवा खेमा कुमावत निवासी बामनियाकलां तह0 रेलमगरा
7. ग्राम पंचायत बामनियाकलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बामनियाकलां तह0 रेलमगरा

रेस्पोडेण्ट्स

ग्राम पंचायत बामनियाकलां के ना0क0 सं0 1808 दिनांक 18/06/2014 के विरूद्ध अपील

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता ग्राम पंचायत बामनियाकलां के ना0क0 सं0 1808 दिनांक 18/06/2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी कि राजस्व ग्राम बामनिया कलां की सीमा में वर्तमान जमाबन्दी संख्या 103 में स्थित कृषि आराजी संख्या 1300 रकबा 02–03 बिस्वा स्थित है। प्रमाण नकल जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि अपीलाण्ट के पिता की होकर विरासत से अपीलाण्ट के नाम पर चली आ रही थी। परन्तु अपीलाण्ट के नाम का गांव में और व्यक्ति होने से उसकी मृत्यु हो जाने से उसकी भूमियों का नामान्तरकरण दिनांक 18/06/2014 को मृतक के वारिसान जो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 06 है जिनके नाम अपीलाण्ट की भूमियों को भी इसी नामान्तरकरण संख्या 1808 में जोडकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 06 के नाम अपीलाण्ट की भूमियों का नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया जो शुन्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट के जीवित होते हुए भी अपीलाण्ट को अधिनस्थ ग्राम पंचायत रेस्पोडेण्ट संख्या 07 ने मृत मानते हुए उसका नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा भरकर दिया ताि भू–अभिलेख निरीक्षक ने उसका सत्यापन किया। उक्त नामान्तरकरण को अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण दिनांक 18/06/2014 को निर्णित किया गया जो विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1808 अपीलाण्ट के मुकाबले शुन्य एवं बेअसर है तथा अपीलाण्ट को जीवित होते हुए भी मृत मानकर उसका नामान्तरकरण

शक्ति
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अन्य व्यक्ति के वारिसों के नाम निर्णित कर राजस्व रेकार्ड में अपीलाण्ट को राजास्व रेकार्ड से उक्त भू
से वंचित कर दिया जो विधि विरुद्ध है। अपीलाण्ट को केसीसी बनाने हेतु अपनी जमाबन्दीयों की न
की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि अपीलाण्ट के नाम पर आराजी संख्या
नहीं है जबकि आराजी संख्या 1300 रकबा 02–03 बिस्वा भूमि का उपयोग उपभोग अपीलाण्ट ही कर
है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात अपीलाण्ट के बजाय रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से लगायात 6 के
पर दर्ज होना पटवारी हल्का से मालुम हुआ जिस पर अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का बामनिया को ही
इन्द्राज गलत होना बताया तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1808 के जरिये रेस्पो
संख्या 1 से लगायत 7 के नाम पर उक्त भूमियां अंकित होना बताया। अपीलाण्ट के द्वारा उक्त इन्द्राज
सही करने का निवेदन पटवारी हल्का व तहसीलदार रेलमगरा को किया गया तो उन्होंने उक्त इ
गलत अंकित करना स्वीकार करते हुए पुनः सही किया जाना उनके अधिकार क्षेत्र में नही होने से मन
दिया । जिससे उक्त नामान्तरकरण की अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गय
जिससे उक्त अपील आप न्यायालय में पेश है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को आ
करीब 1 माह पूर्व जमाबन्दी की नकले निकलवाने के लिए पटवारी हल्का के यह गया तब पटवारी
द्वारा उक्त जानकारी दी एवं जानकारी होते ही उक्त जमाबन्दी की नकले एवं नामान्तरकरण की
निकलवाई एवं नकल निकलवाते ही उक्त अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। इस
अपीलाण्ट को उक्त तथ्य की जानकारी कभी नहीं हुई। तथा नकल प्राप्त होने ही 01 माह के अन्दर
अपील अन्दर मियादद प्रस्तुत की जा रही है। शून्य एवं अवैध नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करना
से बाधित नहीं है, फिर भी सम्भावित कानुनी आपत्तियों के लिए मियाद अधिनियम की धारा 3 व
प्रार्थना पत्र पृथक से अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जो अपील का अभिन्न अंग है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया
पत्रावली रेस्पोडेण्ट्स की तलबी में चल रही थी कि प्रकरण को राज्य सरकार राजस्व लोक
अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत बामनिया कला पर आयोजित शिविर
गया। दौराने शिविर अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 उपस्थित। दोनों को लोक अदालत की
से समझाईश की गयी तो अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 से लोक अदालत भी भावना से
होकर आपसी राजीनामा किया जाकर फर्द अहकाम पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये जाकर रे
संख्या 01 ने सभी रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 से लगायत 06 तक की ओर से अपील स्वीकार किये
सहमति प्रदान की गयी तथा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 07 ग्राम पंचायत बामनिया कला ने भी कोई आप
होना जाहिर किया गया।

अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 को सुना गया एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रे
अवलोकन किया गया।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बामनिया कला के नाम
संख्या 1808 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित वि
है कि मामलें में विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये
कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्ब
की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प बामनिया कला पर सुना

(शक्ति
सहायक क
(उपखण्ड
रेलम